

दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग - । । । में प्रकाशनार्थ
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग
अधिसूचना
नई दिल्ली 1 अक्टूबर, 2012

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र रूप-रेखा को लागू करने विषयक) विनियम, 2012

सं. एफ.3(292)/टैरिफ/डी.ई.आर.सी./2010-11/3026/ विद्युत अधिनियम, 2003 के खंड 61, 62 (1), 66, 86 (1)(ड.) और 181 के तहत प्रदत्त शक्तियों और इसे इस प्रयोजनार्थ समर्थकारी बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, और पिछले प्रकाशन के बाद दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग ने एतद द्वारा नवीकरणीय क्रय दायित्व और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र रूप-रेखा को लागू करने हेतु निम्नवत विनियम बनाए हैं:

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ:

- (1) इन विनियमों को दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र रूप-रेखा को लागू करने विषयक) विनियम, 2012 कहा जाए।
- (2) ये विनियम दिल्ली के गजट में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।
- (3) ये विनियम इस आयोग के क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी क्षेत्रों पर लागू होंगे।

2. परिभाषाएं एवं निर्वचन:

- (i) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,
 - क) “अधिनियम” से अभिप्राय विद्युत अधिनियम, 2003 (वर्ष 2003 का अधिनियम सं. 36) और इस अधिनियम में बाद में किए गए संशोधन (संशोधनों) से है;
 - ख) “आपूर्ति क्षेत्र” से अभिप्राय ऐसे क्षेत्र (क्षेत्रों) से है, वितरण लाइसेंसधारी जिसमें/जिनमें बिजली की आपूर्ति करने के लिए प्राधिकृत है;
 - ग) “सीमित उपयोगकर्ता (कैप्टिव यूजर)” का अर्थ वही होगा जो अर्थ विद्युत नियमावली 2005 के नियम 3(2) में निर्धारित किया गया है;
 - घ) “केन्द्रीय अभिकरण” से अभिप्राय ऐसे अभिकरण से है, केन्द्रीय आयोग द्वारा जिसे केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र को मान्यता देने और उसे जारी करने संबंधी निबंधन एवं शर्तों) विनियम, 2010 के तहत समय-समय पर नियुक्त किया गया हो;

- ड.) “केन्द्रीय आयोग” से अभिप्राय इस अधिनियम के खंड 76 के उप-खंड (1) में उल्लिखित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग से है;
- च) “प्रमाणपत्र” से अभिप्राय केन्द्रीय अभिकरण द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र को मान्यता देने और उसे जारी करने संबंधी निबंधन एवं शर्तों) विनियम, 2010 में निर्धारित प्रावधानों के तहत केन्द्रीय अभिकरण द्वारा जारी नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र से है;
- छ) “आयोग” से अभिप्राय इस अधिनियम के खंड 82 के उप-खंड (1) में उल्लिखित दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग से है;
- ज) “वितरण लाइसेंसधारी” से अभिप्राय ऐसे लाइसेंसधारी से है जिसे इस अधिनियम में परिभाषित अपने आपूर्ति के क्षेत्र में उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति करने हेतु वितरण प्रणाली का प्रचालन और उसका रखरखाव करने हेतु प्राधिकृत किया गया हो;
- झ) “इंटर-कनेक्शन प्वाइंट” से अभिप्राय पारेषण अथवा वितरण प्रणाली, जो भी मामला हो, के साथ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के इंटरफेस प्वाइंट से है;
- ञ) “न्यूनतम निर्दिष्ट मूल्य” से अभिप्राय समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र को मान्यता देने और उसे जारी करने संबंधी निबंधन एवं शर्तों) विनियम, 2010 के अनुसार केन्द्रीय आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य से;
- ट) “सहिष्णुता मूल्य” से अभिप्राय समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र को मान्यता देने और उसे जारी करने संबंधी निबंधन एवं शर्तों) विनियम, 2010 के अनुसार केन्द्रीय आयोग द्वारा निर्धारित उच्चतम मूल्य से है;
- ठ) “एमएनआरई” से अभिप्राय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार से है;
- ड) “बाध्यकारी कंपनी/संस्था” से अभिप्राय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वितरण लाइसेंसधारी, सीमित उपयोगकर्ता और मुक्त पहुंच वाले उपभोक्ता (ओपन एक्सेस कंरस्युमर्स) से है जिसे/जिनहें इन विनियमों के तहत नवीकरणीय क्रय दायित्व को पूरा करने का कार्य सौंपा गया है;
- ढ) “मुक्त पहुंच उपभोक्ता (ओपन एक्सेस कंरस्युमर्स)” से अभिप्राय ऐसे उपभोक्ता से है जिसे इस आयोग द्वारा अनुमति दी गई हो कि वह मुक्त पहुंच (ओपन एक्सेस) का लाभ उठा चुके और मुक्त पहुंच का लाभ उठाने की मंशा रखने वाले अपने आपूर्ति के क्षेत्र के वितरण लाइसेंसधारियों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से बिजली की आपूर्ति प्राप्त कर सके;
- ण) “व्यक्ति” शब्द में कोई कंपनी अथवा निगम निकाय अथवा संघ अथवा व्यक्तियों का निकाय, चाहे वे निगमित हों अथवा न हों, अथवा कृत्रिम वैधिक व्यक्ति शामिल होगा;
- त) “पावर एक्सचेंज” से अभिप्राय केन्द्रीय आयोग द्वारा जारी आदेश (आदेशों) के अनुसार बिजली के पावर एक्सचेंज के रूप में कार्य करने वाले किसी एक्सचेंज से होगा;
- थ) “अधिमान्य टैरिफ” से अभिप्राय पूंजीगत आर्थिक सहायताओं/जीबीआई/कार्बन क्रेडिटों आदि पर विचार करने के बाद विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादन के लिए इस आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ से होगा;

द) “**क्रय की मात्रा**” से अभिप्राय बाध्यकारी कंपनी/संस्था द्वारा क्रय किए जाने वाले नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली के उस हिस्से से होगा, जिसे इन विनियमों में अपने कुल उपभोग की प्रतिशतता के रूप में व्यक्त किया गया है। यह मात्रा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के आधार पर उत्पादन केन्द्र (केन्द्रों) से किए गए सभी प्रकार के प्रत्यक्ष क्रय का कुल जोड़ होगी।

ध) “**नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत**” से अभिप्राय नवीकरणीय स्रोतों से है जैसे लघु जल विद्युत, वायु, सौर, जिनमें संयुक्त साइकल सहित इसका समेकन भी शामिल है, जैव-ईंधन, जैव ईंधन सह-उत्पादन, शहरी अथवा महानगरीय अपशिष्ट पदार्थों तथा ऐसे ही अन्य स्रोत जिन्हें एमएनआरई की मान्यता अथवा अनुमोदन प्राप्त है;

न) “**नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ)**” से अभिप्राय नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली खरीदने के लिए बाध्यकारी कंपनी/संस्था हेतु इस अधिनियम के खंड 86 के उप-खंड (1) की क्लॉज(ड.) के तहत इन विनियमों के अंतर्गत निर्धारित अनिवार्यता से है;

प) “**राज्य अभिकरण**” से अभिप्राय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के ऐसे अभिकरण से है, जिसे इस आयोग द्वारा इन विनियमों के तहत पंजीकरण करने तथा कार्यों को आरंभ करने हेतु नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को आधिकारिक मान्यता और संस्तुति देने के लिए अभिकरण के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त किया गया हो;

फ) “**राज्य**” से अभिप्राय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से है;

ब) “**वर्ष**” से अभिप्राय वित्तीय वर्ष से है।

(ii) ऐसे शब्द एवं अभिव्यक्तियां, जिनका इन विनियमों में उपयोग तो किया गया है पर जिन्हें इन विनियमों में परिभाषित नहीं किया गया है, किंतु आयोग द्वारा जारी अधिनियम अथवा विनियमों में जिन्हें परिभाषित किया गया है, का वही अभिप्राय अथवा वही अर्थ होगा जो अर्थ व अभिप्राय आयोग द्वारा जारी इस अधिनियम अथवा इन विनियमों में है।

3. प्रयोजनीयता :

ये विनियम निम्नवत पर लागू होंगे:

(i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कार्य करने वाले वितरण लाइसेंसधारी;

(ii) कोई भी सीमित उपयोगकर्ता (कैप्टिव यूजर), जो अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का 1 मेगावाट से अधिक इस्तेमाल कर रहा है; और

(iii) कोई भी मुक्त पहुंच उपभोक्ता (ओपन एक्सेस कंस्युमर) जिसके पास ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के अतिरिक्त स्रोतों से 1 मेगावाट से अधिक संविदागत मांग है।

4. नवीकरणीय क्रय दायित्व:

(i) प्रत्येक बाध्यकारी कंपनी/संस्था नवीकरणीय क्रय दायित्व के तहत कुल उपभोग की निर्धारित न्यूनतम प्रतिशतता की पूर्ति के लिए नवीकरणीय स्रोतों से बिजली (कि.वा./घंटा में) खरीदेगी जैसा कि नीचे तालिका में दिया गया है, जो कि नोट 1 के तहत निहित होगा :

तालिका 1 –कुल उपभोग के नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (कि.वा./घंटा के समकक्ष ऊर्जा के अनुसार) से क्रय (प्रतिशतता में) की निर्धारित न्यूनतम मात्रा वर्ष	सौर	कुल
(1)	(2)	(3)
2012-13	0.15%	3.40%
2013-14	0.20%	4.80%
2014-15	0.25%	6.20%
2015-16	0.30%	7.60%
2016-17	0.35%	9.00%

नोट-1

विनियमन 7(1) के तहत बाध्यकारी कंपनी/संस्था (यदि वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विद्युत आपूर्ति हेतु वितरण लाइसेंसधारी है) हेतु नवीकरणीय ऊर्जा, जिसमें सौर ऊर्जा भी शामिल है, की खरीद एआरआर में दी गई नवीकरणीय ऊर्जा की कुल लागत से अधिक नहीं होनी चाहिए। उक्त के अतिरिक्त कोई लागत टैरिफ में नहीं जुड़ेगी।

नोट-2

जहां तक व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के ऑफ ग्रिड नवीकरणीय उपयोग/विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा प्रारंभ स्कीमों का संबंध है, ऐसी स्कीमों के अंतर्गत एकबारगी पूंजीगत आर्थिक सहायता अथवा उत्पादन आधारित प्रोत्साहन का लाभ प्राप्त करने वाले सभी संस्थापनों को राज्य नोडल एजेंसी के पास स्वयं को रजिस्टर करना होगा। यह राज्य नोडल एजेंसी ऐसी आर्थिक सहायताओं/प्रोत्साहनों को प्राप्त करने के लिए स्वीकृति जारी करेगी।

यदि ऐसी स्कीमों के अंतर्गत स्थापित कुल ऑफ ग्रिड उपयोग/उत्पादन क्षमता, संबंधित श्रेणी में दिल्ली वितरण लाइसेंसधारियों के कुल आरपीओ दायित्व के 10 प्रतिशत से अधिक है, तो यह आयोग ऐसे ऑफ ग्रिड उपयोग/उत्पादन क्षमता के मद्देनजर वितरण लाइसेंसधारियों के आरपीओ दायित्वों को पुनःनिर्धारित कर सकता है।

बशर्ते कि सौर ऊर्जा से नवीकरणीय क्रय दायित्व, जैसा कि तालिका 1 के कॉलम 2 में निर्धारित किया गया है, केवल सौर स्रोतों पर आधारित उत्पादन से ही पूरा किया जाए;

बशर्ते यह भी कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्रय हेतु ऐसे दायित्व में संबंधित बाध्यकारी कंपनी/संस्था द्वारा पहले से ही आपूर्ति किए जा रहे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से किसी प्रकार का क्रय, यदि कोई हो, शामिल होगा;

बशर्ते यह भी कि वितरण लाइसेंसधारी (लाइसेंसधारियों) द्वारा पहले से ही संपन्न और इस आयोग द्वारा स्वीकृत, विद्युत क्रय करार (करारों) के तहत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत का क्रय उनकी वर्तमान वैधता तक किया जाता रहेगा, चाहे ऐसे करार (करारों) के अंतर्गत कुल क्रय ऊपर निर्धारित प्रतिशतता से अधिक हो।

(2) प्रत्येक बाध्यकारी कंपनी/संस्था अपने स्वयं के उत्पादन द्वारा अथवा अन्य लाइसेंसधारी (लाइसेंसधारियों)/स्रोत (स्रोतों) से क्रय के द्वारा अथवा नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (प्रमाणपत्रों) के क्रय के द्वारा अथवा उक्त विकल्पों में से किसी एक के संयोजन के द्वारा अपने आरपीओ लक्ष्य को पूरा करेगी। कोई भी दीर्घावधि विद्युत करार इस आयोग के पूर्वानुमोदन के अनुसार ही किया जाएगा।

(3)(i) यह आयोग दीर्घावधि विद्युत क्रय करारों (पीपीए) को दीर्घावधि व्यवहार्यता बनाम अन्य विकल्पों के आधार पर मदवार अनुमोदन प्रदान करेगा।

(3)(ii) यदि किसी विशिष्ट वर्ष में पूंजीगत आर्थिक सहायताओं/जीबीआई/कार्बन क्रेडिटों आदि के मद्देनजर टैरिफ औसत विद्युत क्रय लागत (एपीपीसी) से कम हो तो वर्ष दर वर्ष आधार पर स्वतः अनुमोदन प्रदान किया जाएगा।

(4) लाइसेंसधारी अपने आपूर्ति के क्षेत्र (क्षेत्रों) में उत्पादनकर्ता द्वारा स्वयं इस्तेमाल की जाने वाली अथवा मुक्त पहुंच के तहत तीसरे पक्ष को बेची जाने वाली नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली की क्षमता वृद्धि, उत्पादन और क्रय के संबंध में इस आयोग के समक्ष छमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा/करेंगे और इसे अपनी वेबसाइट पर भी पोस्ट करेगा/करेंगे।

5. केन्द्रीय आयोग के विनियमों के तहत प्रमाणपत्र

(1) इन विनियमों में निहित निबंधन एवं शर्तों के तहत, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र को मान्यता देने एवं उसे जारी करने संबंधी निबंधन एवं शर्तों) विनियम, 2010 के तहत जारी प्रमाणपत्र, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली खरीदने के लिए बाध्यकारी कंपनियों/संस्थाओं के लिए इन विनियमों में निर्धारित अनिवार्य दायित्वों को पूरा करने के वैध साधन होंगे।

बशर्ते कि बाध्यकारी कंपनी/संस्था यदि प्रमाणपत्रों के क्रय द्वारा नवीकरणीय क्रय दायित्व को पूरा कर रही है, तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में सौर ऊर्जा पर आधारित उत्पादन से बिजली के क्रय दायित्व को केवल सौर प्रमाणपत्रों के क्रय द्वारा ही पूरा किया जा सकता है तथा सौर ऊर्जा के अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित उत्पादन से बिजली के क्रय दायित्व को गैर-सौर प्रमाणपत्रों के क्रय द्वारा ही पूरा किया जा सकता है।

(2) इस आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले निदेश के अनुसार बाध्यकारी कंपनी/संस्था, इन विनियमों के अंतर्गत नवीकरणीय क्रय दायित्व को पूरा करने के लिए इन प्रमाणपत्रों की खरीद के संबंध में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र को मान्यता देने और उसे जारी करने संबंधी शर्तें एवं विनियम) विनियम, 2010 के अनुसार कार्य करेगी/करेंगे।

(3) इन विनियमों के अनुसार बाध्यकारी कंपनियों/संस्थाओं द्वारा विद्युत के विनियम से खरीदे गए प्रमाणपत्रों को इस केन्द्रीय अभिकरण द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बाध्यकारी कंपनियों/संस्थाओं द्वारा इस आयोग के पास जमा कराया जाएगा।

6. राज्य अभिकरण

(1) यह आयोग इन विनियमों के तहत पंजीकरण करने और कार्यों को आरंभ करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को आधिकारिक मान्यता और संस्तुति देने के लिए राज्य अभिकरण के रूप में किसी अभिकरण को नियुक्त करेगा।

(2) यह राज्य अभिकरण इस आयोग द्वारा जारी निदेशों के अनुसार कार्य करेगा और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र को मान्यता देने और उसे जारी करने संबंधी शर्तें एवं विनियम) विनियम, 2010 के तहत केन्द्रीय अभिकरण द्वारा अपने कार्यों को करने के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं/नियमों के अनुसार कार्य करेगा।

(3) यह राज्य अभिकरण नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन कंपनियों, बाध्यकारी कंपनियों/संस्थाओं, एसएलडीसी, मुख्य विद्युत निरीक्षक आदि जैसे विभिन्न स्रोतों से नियमित आधार पर सूचना एकत्र करने हेतु उपयुक्त प्रोटोकॉल का विकास करेगा और ऐसी बाध्यकारी कंपनियों/संस्थाओं द्वारा आरपीओ लक्ष्य के अनुपालन के परिकलन के लिए ऐसी सूचना का संकलन करेगा।

(4) राज्य अभिकरण द्वारा विभिन्न बाध्यकारी कंपनियों/संस्थाओं के नवीकरणीय ऊर्जा प्रापण तथा आरपीओ अनुपालन का संक्षिप्त विवरण प्रत्येक माह संचयी आधार पर अगले माह के दसवें दिन अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

(5) इस सूचना में प्रत्येक बाध्यकारी कंपनी/संस्था द्वारा अधिमाम्य टैरिफ रूट तथा आरईसी क्रियाविधि के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा प्रापण के तहत किया गया नवीकरणीय ऊर्जा प्रापण शामिल होगा।

(6) यह राज्य अभिकरण बाध्यकारी कंपनियों/संस्थाओं द्वारा नवीकरणीय क्रय दायित्व के अनुपालन के संबंध में इस आयोग द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर और फार्मेट में आयोग को तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और नवीकरणीय क्रय दायित्व के अनुपालनार्थ इस आयोग को, यदि आवश्यक हुआ तो, उपयुक्त कार्रवाई का सुझाव भी देगा।

(7) यह आयोग राज्य अभिकरणों को अपने कार्यों को करने के लिए देय पारिश्रमिक और प्रभारों का समय-समय पर निर्धारण करेगा और मान्यता प्राप्त संस्थाओं और बाध्यकारी कंपनियों/संस्थाओं से इनकी वसूली भी की जाएगी।

(8) यदि आयोग यह समझता है कि राज्य अभिकरण अपने कार्यों को संतोषजनक रूप से पूरा करने में अक्षम है, तो वह आदेश द्वारा, और कारणों को लिखित में दर्ज करने के बाद, राज्य अभिकरण के रूप में कार्य करने हेतु अन्य उपयुक्त एजेंसी को नियुक्त कर सकता है।

7. वितरण लाइसेंसधारी:

(1) प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारी इस आयोग द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार टैरिफ/वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) आवेदन में आगामी वर्ष के लिए नवीकरणीय स्रोतों से क्रय की अनुमानित मात्रा को उपयुक्त प्रमाणों सहित इंगित करेगा।

(2) विद्युत क्रय करारों अथवा विद्युत विनियम तंत्र अथवा अपने स्वयं के नवीकरणीय स्रोतों के तहत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा की उपलब्धता के बावजूद, यदि वितरण लाइसेंसधारी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से क्रय की अधिकतम मात्रा को पूरा करने में असफल रहता है तो वह इन विनियमों की क्लॉज 11 के अनुसार उत्तरदायी होगा।

8. सीमित उपभोक्ता (कैप्टिव यूजर) और मुक्त पहुंच उपभोक्ता (ओपन एक्सेस कंस्यूमर):

(1) प्रत्येक सीमित उपभोक्ता और मुक्त पहुंच उपभोक्ता आरपीओ को पूरा करने के लिए बिजली के कुल उपभोग और नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा की खरीद के संबंध में आवश्यक विवरण वार्षिक आधार पर दिनांक 30 अप्रैल को अथवा उससे पहले राज्य अभिकरण को प्रस्तुत करेगा।

(2) सीमित उपभोक्ता और मुक्त पहुंच उपभोक्ता इन विनियमों की क्लॉज 4(1) में उल्लिखितानुसार नवीकरणीय ऊर्जा और/अथवा नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र खरीदेगा अथवा अपने स्वयं के उपभोग हेतु नवीकरणीय ऊर्जा का सृजन करेगा जिस पर राज्य नोडल एजेंसी द्वारा प्रमाणन के बाद ही आरपीओ प्रयोजनार्थ विचार किया जाएगा। यदि सीमित उपभोक्ता और मुक्त पहुंच उपभोक्ता इन विनियमों की क्लॉज 4(1) में उल्लिखित मानदंड को पूरा करने में असमर्थ रहता है तो क्लॉज 11 के अनुसार लक्षित मात्रा की कमी हेतु विनियामक प्रभार का भुगतान करना होगा।

9. नवीकरणीय ऊर्जा का मूल्यनिर्धारण:

(1) प्रचालन अवधि के दौरान चालू की गई नवीन नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना में निम्नवत विकल्प होंगे, या तो आयोग के सम्बद्ध प्रौद्योगिकी विशिष्ट टैरिफ विनियमों में निर्धारित टैरिफ निर्धारण संरचना को अपनाना, अथवा इस परियोजना से सृजित बिजली के मूल्य निर्धारण हेतु आरईसी कार्य प्रणाली को अपनाना।

(2) अधिमन्य टैरिफ के विकल्प का चयन करने वाली परियोजनाओं को विद्युत क्रय करार की वैधता के समाप्त होने तक उसी टैरिफ मूल्य निर्धारण संरचना को जारी रखना होगा।

(3) ऐसी नवीन नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना वितरण लाइसेंसधारी अथवा मुक्त पहुंच उपभोक्ता, जैसा भी मामला हो, से विद्युत क्रय करार करने से पहले उपयुक्त मूल्यनिर्धारण तंत्र का चयन अपनी पसंद से कर सकती है।

(4) नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली प्राप्त करने वाले मुक्त पहुंच उपभोक्ता, आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित क्रॉस-सब्सिडी प्रभार से आरपीओ की सीमा तक मुक्त होंगे। तथापि, मुक्त पहुंच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली की आपूर्ति हेतु कोई बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी।

नोट 1- आरईसी तंत्र नवीकरणीय ऊर्जा सृजन के पर्यावरणीय गुणों को प्रस्तुत करने वाले दो घटकों नामतः बिजली घटक और नवीकरणीय ऊर्जा घटक का मूल्य निर्धारण करता है। प्रचालन अवधि के प्रयोजनार्थ प्रभावी बिजली घटक मूल्य, वितरण लाइसेंसधारी के “विद्युत क्रय की संयोजित कीमत” के समकक्ष होगा जबकि आरईसी का मूल्य विद्युत विनिमय में पता लगाए गए मूल्य के समान होगा।

नोट 2- “विद्युत क्रय की संयोजित कीमत” संतुलित औसत संयोजित मूल्य है जिस पर वितरण लाइसेंसधारी सभी दीर्घावधि एवं अल्पावधि ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं से गत वर्षों में स्व-सृजन की लागत, यदि कोई हो, सहित बिजली खरीदता है, परंतु इसमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित ऊर्जा आपूर्तिकार सम्मिलित नहीं हैं।

नोट 3- केन्द्रीय आयोग सौर और गैर-सौर नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्रों) हेतु न्यूनतम और उच्चतम मूल्य को अलग से निर्धारित करने के लिए समय-समय पर केन्द्रीय अभिकरण और फोरम ऑफ रेगुलेटर्स से परामर्श कर सकता है।

10. मुक्त पहुंच हेतु प्राथमिकता:

(1) अधिष्ठापित क्षमता पर ध्यान दिए बिना नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली सृजित करने वाली कंपनी/संस्था की किसी लाइसेंसधारी की पारेषण प्रणाली अथवा वितरण प्रणाली अथवा ग्रिड, जैसा भी मामला हो, तक मुक्त पहुंच होगी और ऐसा लाइसेंसधारी वाणिज्यिक प्रचालन के प्रारंभ होने से पूर्व, जहां तक संभव हो सकेगा, उपयुक्त अंतः संबंध सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

(2) अंतः संबंध सुविधाएं, जब भी उपलब्ध कराई जाएंगी, उनमें भारतीय विद्युत ग्रिड कोड/राज्य ग्रिड कोड में विनिर्दिष्ट ग्रिड कनेक्टिविटी मानकों का अनुपालन किया जाएगा।

11. चूक का परिणाम:

(1) यदि बाध्यकारी कंपनी/संस्था इन विनियमों में दिए गए नवीकरणीय क्रय दायित्व का किसी वर्ष के दौरान निर्वहन नहीं कर पाती है और प्रमाण पत्र भी नहीं खरीदती है, तो आयोग बाध्यकारी कंपनी/संस्था को पृथक निधि जमा कराने का निदेश दे सकता है और आयोग द्वारा दिए गए निदेशानुसार इसका सृजन और रखरखाव किया जाएगा; आयोग आरपीओ की यूनिटों में आई कमी और केन्द्रीय आयोग द्वारा निर्धारित सहिष्णुता मूल्य के आधार पर ऐसी राशि का निर्धारण कर सकता है:

बशर्ते कि इस प्रकार सृजित निधि का उपयोग आरईसी की खरीद और/अथवा ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए आयोग द्वारा दिए गए निदेशों के अनुसार किया जाए;

बशर्ते यह भी कि आयोग, इस निधि की राशि में से, दायित्वों के निर्वहन में आई कमी के बराबर प्रमाण पत्रों की अपेक्षित संख्या के विद्युत विनियम से खरीद करने के लिए राज्य अभिकरण के किसी अधिकारी को अधिकृत कर सकता है;

बशर्ते यह भी कि यदि वितरण लाइसेंसधारी आयोग द्वारा तय राशि को, निदेश दिए जाने के 15 दिन के भीतर जमा कराने में असमर्थ रहता है, तो वह अपनी लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन करता है।

(2) जहां कोई बाध्यकारी कंपनी/संस्था नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से क्रय की अपेक्षित न्यूनतम मात्रा अथवा नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्रों को खरीदने के दायित्व का निर्वहन करने में असफल रहती है तो वह इस अधिनियम के खंड 142 के तहत आयोग द्वारा निर्धारित दंड की भागीदार होगी।

बशर्ते कि प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्रों) की अनुपलब्धता के कारण नवीकरणीय क्रय दायित्व के अनुपालन में वास्तविक कठिनाई आने पर बाध्यकारी कंपनी/संस्था आयोग से अनुपालन आवश्यकता को अगले वर्ष पूरा करने के लिए आग्रह कर सकती है। तथापि, अधिक नवीकरणीय ऊर्जा खरीद हेतु जमा को अगले वर्ष समायोजित नहीं किया जाएगा।

बशर्ते कि जब आयोग ने अनुपालन आवश्यकता को अगले वर्ष पूरा करने की सहमति दे दी हो, तो भी इस विनियम की क्लॉज 11(1) के प्रावधान अथवा इस अधिनियम के खंड 142 के प्रावधान का उपयोग नहीं किया जाएगा;

(3) यदि बाध्यकारी कंपनी/संस्था वितरण लाइसेंसधारी है, तो आयोग द्वारा बाध्यकारी कंपनी/संस्था पर लगाए गए दंड को समग्र राजस्व आवश्यकता के माध्यम से समाप्त नहीं किया जाएगा।

12. अनुपालन परीक्षकों की नियुक्ति:

(1) यह आयोग इन विनियमों के अनुपालन की जांच करने और रिपोर्ट के लिए समय-समय पर अनुपालन परीक्षकों को नियुक्त कर सकता है। यह परीक्षक इन विनियमों की क्लॉज 11(1) के तहत सृजित इस निधि को प्रमाणित भी करेगा।

(2) यह परीक्षक ऐसा व्यक्ति अथवा ऐसी फर्म होगी, जिसमें वित्त अथवा लेखा और इंजीनियरी की शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव रखने वाले व्यक्ति होंगे।

13. छूट की शक्ति:

यह आयोग, आदेश द्वारा, लिखित में रिकॉर्ड किए जाने वाले कारणों हेतु, और प्रभावित होने वाली पार्टियों को सुनवाई का अवसर देने के बाद अपने स्वयं के प्रस्ताव अथवा किसी व्यक्ति द्वारा इसके समक्ष प्रस्तुत आवेदन के आधार पर इन विनियमों के किसी प्रावधान में छूट दे सकता है।

14. संशोधन की शक्ति:

यह आयोग इन विनियमों के किसी प्रावधान में समय-समय पर जोड़, फेर-बदल, परिवर्तन, निलंबन, आशोधन, संशोधन अथवा निरसन कर सकता है।

15. कठिनाइयां समाप्त करने की शक्ति:

(1) इन विनियमों के किसी प्रावधान को लागू करने में आने वाली किसी कठिनाई के मामले में यह आयोग, आदेश द्वारा, किसी उत्पादन कंपनी, वितरण लाइसेंसधारी, सीमित उपभोक्ता, और मुक्त पहुंच उपभोक्ता को उचित कार्रवाई करने के लिए उपयुक्त निदेश जारी कर सकता है, जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हों, जो आयोग को इन कठिनाई को समाप्त करने के लिए आवश्यक अथवा व्यावहारिक प्रतीत होते हों।

(2) कोई उत्पादन कंपनी, वितरण लाइसेंसधारी, सीमित उपभोक्ता, और मुक्त पहुंच उपभोक्ता इस आयोग से आवेदन कर सकते हैं और इन विनियमों को लागू करने में आने वाले किसी कठिनाई को समाप्त करने के लिए उपयुक्त आदेश प्राप्त कर सकते हैं।

16. बचाव:

(1) इन विनियमों में ऐसा कुछ नहीं है जिससे न्याय करने अथवा आयोग की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे आदेश देने के लिए इस आयोग की मूलभूत शक्ति सीमित अथवा अन्यथा प्रभावित होती हो।

(2) यदि आयोग मामले की विशेष परिस्थिति अथवा मामलों की श्रेणी के मद्देनजर और लिखित में रिकॉर्ड किए जाने वाले कारणों हेतु ऐसे मामले अथवा मामलों की श्रेणी पर कार्रवाई करने हेतु आवश्यक अथवा व्यावहारिक समझता हो तो इन विनियमों में ऐसा कुछ नहीं है जिससे इस आयोग को विद्युत अधिनियम 2003 (वर्ष 2003 का 36) के प्रावधानों के अनुसार ऐसी प्रक्रिया, जो इन विनियमों के किसी प्रावधान से भिन्न हो, को अपनाने में बाधा आएगी,।

(3) इन विनियमों में ऐसा कुछ नहीं है जिससे आयोग को स्पष्ट रूप से अथवा अंतर्निहित रूप से किसी मामले पर कार्रवाई करने अथवा विद्युत अधिनियम 2003 (वर्ष 2003 का 36) के तहत किसी शक्ति का उपयोग करने में बाधा आती हो,

जिसके लिए कोई विनियम तैयार नहीं किए गए हैं और यह आयोग ऐसे मामलों, शक्तियों, कार्यों के संबंध में, जैसा वह उचित समझता है, कार्रवाई कर सकता है।

श्रीमती सुनीता यादव
सचिव

**FOR PUBLICATION IN DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY PART-III
GOVERNMENT OF NCT OF DELHI**

**DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
NOTIFICATION**

New Delhi, 1 October, 2012

**DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (RENEWABLE PURCHASE OBLIGATION AND
RENEWABLE ENERGY CERTIFICATE FRAMEWORK IMPLEMENTATION) REGULATIONS, 2012**

No: F.3(292)/Tariff/DERC/2010-11/3026/ In exercise of powers conferred under sections 61, 62(1), 66, 86(1)(e) and 181 of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Delhi Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations for the Renewable Purchase Obligation and Renewable Energy Certificate Framework Implementation:

1. Short Title and Commencement:

- (1) These regulations may be called the Delhi Electricity Regulatory Commission (Renewable Purchase Obligation and Renewable Energy Certificate Framework Implementation) Regulations, 2012.
- (2) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Delhi Gazette
- (3) These Regulations shall extend to all the areas under jurisdiction of the Commission.

2. Definitions and Interpretation:

- (i). In these regulations, unless the context otherwise requires,
 - a) "**Act**" means the Electricity Act, 2003 (Act No. 36 of 2003) and subsequent amendment(s) thereof;
 - b) "**Area of Supply**" means the area(s) within which the distribution licensee is authorized to supply electricity;
 - c) "**Captive user**" shall have same meaning as defined in rule 3(2) of Electricity Rules 2005;
 - d) "**Central Agency**" means the agency, as the Central Commission may designate from time to time, under Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for recognition and issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010;
 - e) "**Central Commission**" means the Central Electricity Regulatory Commission referred to in sub-section (1) of section 76 of the Act;
 - f) "**Certificate**" means the Renewable Energy Certificate (REC) issued by the Central Agency in accordance with the procedures prescribed by it and under the provisions specified in the Central

Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for recognition and issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010;

g) “**Commission**” means the Delhi Electricity Regulatory Commission as referred in subsection (1) of section 82 of the Act;

h) “**Distribution Licensee**” means a licensee authorized to operate and maintain a distribution system for supplying electricity to the consumers in his area of supply as defined in the Act;

i) “**Inter-connection point**” shall mean the interface point of the Renewable Energy Project with the transmission system or distribution system as the case may be;

j) “**Floor price**” means the minimum price as determined by the Central Commission in accordance with Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for recognition and issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010, as amended from time to time;

k) “**Forbearance Price**” means the ceiling price as determined by the Central Commission in accordance with the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for recognition and issuance of Renewable energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations 2010 as amended from time to time;

l) “**MNRE**” means the Ministry of New and Renewable Energy, Government of India;

m) “**Obligated Entity**” means the distribution licensee(s), Captive user(s) and Open Access Consumer(s) in the National Capital Territory of Delhi, which is mandated to fulfill Renewable Purchase Obligation under these Regulations;

n) “**Open access consumer**” means a consumer permitted by the Commission to receive supply of electricity from a person, other than distribution licensee of his area of supply, who has availed of or intends to avail of open access;

o) “**Person**” shall include any company or body corporate or association or body of individuals, whether incorporate or not, or artificial juridical person;

p) “**Power Exchange**” means any exchange operating as the power exchange for electricity in terms of the order(s) issued by the Central Commission;

q) “**Preferential Tariff**” means the tariff fixed by the Commission for generation from various renewable energy sources after considering capital subsidies/GBI/Carbon Credits, etc.;

r) “**Quantum of Purchase**” means the share of electricity from renewable energy sources required to be purchased by obligated entity/entities, expressed as a percentage of its total consumption, as specified in these regulations. The quantum would be the sum of all direct purchase from generating station(s) based on renewable energy sources.

s) “**Renewable Energy Sources**” means renewable sources such as small hydro, wind, solar including its integration with combined cycle, biomass, bio fuel cogeneration, urban or municipal waste and such other sources as recognized or approved by MNRE;

t) **“Renewable Purchase Obligation (RPO)”** means the requirement as specified under these Regulations under clause (e) of sub-section (1) of section 86 of the Act for the obligated entity to purchase electricity from renewable energy sources;

u) **“State Agency”** means the agency in the National Capital Territory of Delhi, as may be designated by the Commission to act as the agency for accreditation and recommending the renewable energy projects, for registration and to undertake functions under these regulations;

v) **“State”** means the National Capital Territory of Delhi.

w) **“Year”** means a financial year.

(ii). Words and expressions used in these Regulations and not defined herein but defined in the Act or the regulations issued by the Commission, shall have the same meaning assigned to them respectively in the Act or such regulations issued by the Commission.

3. Applicability:

These Regulations shall apply to:

(i) Distribution Licensee(s) operating in the National Capital Territory of Delhi;

(ii) Any Captive user, using other than renewable energy sources exceeding 1 MW; and,

(iii) Any Open Access Consumer with a contract Demand exceeding 1 MW from sources other than renewable sources of energy.

4. Renewable Purchase Obligation:

(1) Every obligated entity shall purchase electricity (in kWh) from renewable sources for fulfillment of a defined minimum percentage of the total quantum/consumption under the Renewable Purchase Obligation as specified in the Table below subject to Note 1:

Table -Defined Minimum Quantum of Purchase (in %age) from Renewable Energy Sources (in terms of energy equivalent in kWh) of Total Consumption Year	Solar	Total
(1)	(2)	(3)
2012-13	0.15%	3.40%
2013-14	0.20%	4.80%
2014-15	0.25%	6.20%
2015-16	0.30%	7.60%
2016-17	0.35%	9.00%

Note-1

Purchase of renewable energy including solar shall not exceed the total cost of renewable energy as given in ARR under Regulation 7(1) for the obligated entity (if it is a distribution licensee supplying power in the GoNCT of Delhi). Any cost in excess of the above shall not be a pass through in tariff.

Note-2

In case of any schemes introduced by GoNCTD for promotion of Off Grid renewable use/power generation by individual consumers, all installations seeking to avail the benefits of one time capital subsidy or generation based incentive under such schemes shall need to register themselves with the State Nodal Agency who will issue clearance for their availing any such subsidies/incentives.

In case the total off grid usage/generation capacity established under such schemes exceeds 10 Percent of the total RPO obligation of Delhi Distribution Licensees in the relevant category, the Commission may re-fix the RPO obligations of the distribution licensees taking into consideration such off grid usage/generation capacity.

Provided that the Renewable Purchase Obligation from solar as specified in column 2 of Table 1 shall be fulfilled from the generation based on solar sources only;

Provided further, such obligation to purchase renewable energy shall be inclusive of the purchases, if any, from renewable energy sources already being made by concerned obligated entity;

Provided further that the power purchase from renewable energy sources under the power purchase agreement(s) already entered into by the distribution licensee(s) and consented to by the Commission, shall continue to be made till their present validity, even if the total purchase under such agreement(s) exceeds the percentage as specified herein above.

(2) Every obligated entity shall meet its RPO target by way of its own generation or by way of purchase from other licensee(s)/source(s) or by way of purchase of Renewable Energy Certificate(s) or by way of combination of any of the above options. Any Long term Power Purchase arrangements shall be made only with the prior approval of the Commission.

(3)(i) The Commission shall approve long term PPAs on case to case basis.

(3)(ii) There shall be automatic approval on year to year basis if tariff considering capital subsidies/GBI/Carbon credits etc. is < Average Power Purchase Cost (APPC) during a particular year.

(4) The Licensee(s) shall submit half yearly progress report to the Commission, on the capacity addition, generation and purchase of electricity from renewable energy sources in their area(s) of

supply, which is used by generator itself or sold to the third party under open access, and also post them on their website.

5. Certificates under the Regulations of the Central Commission:

(1) Subject to the terms and conditions contained in these regulations, the Certificates issued under the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for recognition and issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010 shall be the valid instruments for the discharge of the mandatory obligations set out in these regulations for the obligated entities to purchase electricity from renewable energy sources.

Provided that in the event of the obligated entity fulfilling the renewable purchase obligation by purchase of certificates, the obligation to purchase electricity from generation based on solar as renewable energy source can be fulfilled by purchase of solar certificates only, and the obligation to purchase electricity from generation based on renewable energy other than solar can be fulfilled by purchase of non solar certificates.

(2) Subject to such direction as the Commission may give from time to time, the obligated entity shall act consistent with the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for recognition and issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010 in regard to the procurement of the certificates for fulfillment of the Renewable Purchase Obligation under these regulations.

(3) The Certificates purchased by the obligated entities from the power exchange in terms of these regulation shall be deposited by the obligated entities to the Commission in accordance with the procedure prescribed by the Central Agency.

6. State Agency:

(1) The Commission shall designate an agency, as the State Agency, for accreditation and recommending the renewable energy projects for registration and to undertake functions under these regulations.

(2) The State Agency shall function in accordance with the directions issued by the Commission and shall act in consistent with the procedures/rules laid by Central Agency for discharge of its functions under the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for recognition and issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010.

(3) The State Agency shall develop suitable protocol for collection of information from various sources such as renewable energy generating companies, obligated entities, SLDC, chief electrical inspector etc., on regular basis and compile such information to compute the compliance of RPO target by such obligated entities.

(4) The summary statement of renewable energy procurement and RPO compliance by different obligated entities shall be published by the State Agency on a cumulative basis every month by 10th day of the next month on its website.

(5) The information shall cover renewable energy procurement by each obligated entity comprising renewable energy procurement under preferential tariff route as well as renewable energy procurement through REC mechanism.

(6) The State Agency shall submit quarterly progress report to the Commission in respect of compliance of renewable purchase obligation by the obligated entities in the format and within the period as stipulated by the Commission and may suggest appropriate action to the Commission, if required, for compliance of the Renewable Purchase Obligation.

(7) The Commission may from time to time fix the remuneration and charges payable to the State Agency for discharge of its functions and the same shall be recovered from the accredited entities and the obligated entities.

(8) If the Commission is satisfied that the State Agency is not able to discharge its functions satisfactorily, it may by Order, and after recording reasons in writing, designate another agency to function as State Agency, as it considers appropriate.

7. Distribution Licensee(s):

(1) Each distribution licensee shall indicate along with sufficient proof thereof, the estimated quantum of purchase from renewable sources for the ensuing year in tariff/annual revenue requirement (ARR) petition in accordance with the regulations notified by the Commission.

(2) Despite availability of energy from renewable energy sources under the Power Purchase Agreements or the power exchange mechanism or from its own renewable sources, if the distribution licensee fails to fulfill the minimum quantum of purchase from renewable energy sources, it shall be liable as per clause 11 of these regulations.

8. Captive User(s) and Open Access Consumer(s):

(1) Every Captive User and Open Access Consumer shall submit necessary details regarding total consumption of electricity and purchase of energy from renewable sources for fulfillment of RPO on yearly basis on or before 30th April to the State Agency.

(2) Captive User(s) and Open Access Consumer(s) shall purchase renewable energy and/or Renewable Energy Certificate(s) as stated in clause 4(1) of these Regulations or generate renewable energy for its own consumption, which shall be considered for RPO purposes only after certification by the State Nodal Agency. If the Captive user(s) and Open Access consumer(s) are unable to fulfill the criteria as specified in clause 4(1) of these Regulations, the shortfall of the targeted quantum would attract payment of regulatory charge as per clause 11.

9. Renewable Energy Pricing:

(1) A new renewable energy project commissioned during the operative period shall have an option of following, either the tariff pricing structure, as may be stipulated in the relevant technology specific tariff regulations of the Commission, or adopt the REC mechanism for pricing of the electricity generated from the project.

(2) Projects which opt for preferential tariff shall have to continue with the same tariff pricing structure until the validity of Power Purchase Agreement ceases.

(3) Such new renewable energy project shall exercise its choice for selection of appropriate pricing mechanism prior to execution of the Power Purchase Agreement with the distribution licensee or with open access consumer, as the case may be.

(4) Open access consumer receiving electricity from renewable energy sources shall be exempted from the cross-subsidy surcharge determined by the Commission from time to time to the extent of RPO. However, no banking facility shall be provided for supply of electricity from renewable energy sources through open access.

Note 1 - The REC mechanism entails pricing of two components, namely, electricity component and renewable energy component representing environmental attributes of renewable energy generation. For the purpose of the operating period, the effective electricity component price shall be equivalent to "Pooled Cost of Power Purchase" of the distribution licensee, whereas, the price of RECs shall be as discovered in the Power Exchange.

Note 2 - "Pooled Cost of Power Purchase" is the weighted average pooled price at which the distribution licensee has purchased the electricity including cost of self-generation, if any, in the previous year from all the long-term and short-term energy suppliers, but excluding those based on renewable energy sources.

Note 3 - The Central Commission may, in consultation with the Central Agency and the Forum of Regulators, from time to time prescribe the Floor price and the forbearance price separately for solar and non-solar Renewable Energy Certificate(s).

10. Priority for Open Access:

(1) An entity generating electricity from renewable energy sources irrespective of installed capacity shall have open access to any licensee's transmission system or distribution system or grid, as the case may be, and such a licensee shall provide appropriate interconnection facilities, as far as possible, before commercial operation commences.

(2) The interconnection facilities, whenever provided, shall follow the grid connectivity standards as specified in the Indian Electricity Grid Code/State Grid Code.

11. Effect of default:

(1) If an obligated entity fails to fulfill the Renewable Purchase Obligation as provided in these regulations during any year and also does not purchase the Certificates, the Commission may direct the obligated entity to deposit into a separate fund, to be created and maintained in the manner as directed by the Commission, such amount as the Commission may determine on the basis of the shortfall in units of RPO and the forbearance price decided by the Central Commission:

Provided that the fund so created shall be utilized, as may be directed by the Commission, for purchase of the REC and/or promotion of renewable sources of energy;

Provided further that the Commission may empower an officer of the State Agency to procure from the power exchange the required number of certificates to the extent of the shortfall in the fulfillment of the obligations, out of the amount in the fund;

Provided further that the distribution licensee shall be in breach of its license condition, if it fails to deposit the amount directed by the Commission within 15 days of the communication of the direction;

(2) Where any obligated entity fails to comply with the obligation to purchase the required minimum quantum of purchase from Renewable Energy Sources or the Renewable Energy Certificate(s), it shall also be liable for penalty, as may be decided by the Commission, under section 142 of the Act;

Provided that in case of genuine difficulty in complying with the renewable purchase obligation because of non-availability of Certificate(s), the obligated entity may approach the Commission for

carry forward of compliance requirement to the next year. However, credit for excess renewable energy purchase would not be adjusted in the next year.

Provided that where the Commission has consented to the carry forward of compliance requirement, the provision of clause 11(1) of the Regulation or the provision of section 142 of the Act shall not be invoked;

(3) The penalty enforced by the Commission on the obligated entity shall not be a pass through in the Aggregate Revenue Requirement, in case the obligated entity is a Distribution Licensee.

12. Appointment of Compliance Auditors:

(1) The Commission may appoint, from time to time, Compliance Auditors to inquire into and report on compliance of these Regulations. The Auditor shall also certify the fund created under clause 11(1) of these Regulations.

(2) The Auditor(s) shall be an individual person or a firm having persons with qualification and experience in Finance or Accounts and Engineering.

13. Power to Relax:

The Commission may, by order, for reasons to be recorded in writing, and after giving an opportunity of being heard to the parties likely to be affected, may relax any of the provisions of these regulations on its own motion or on an application made before it by a person.

14. Power to Amend:

The Commission may from time to time add, vary, alter, suspend, modify, amend or repeal any provision of these regulations.

15. Power to Remove Difficulties:

(1) In case of any difficulty in giving effect to any of the provisions of these regulations, the Commission may by order, issue appropriate directions to any generating company, distribution licensee, captive user, and open access consumer, to take suitable action, not being inconsistent with the provisions of the Act, which appear to the Commission to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty.

(2) Any generating company, distribution licensee, captive user, open access consumer may make an application to the Commission and seek suitable orders to remove any difficulties that may arise in implementation of these Regulations.

16. Savings:

(1) Nothing in these Regulations shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the Commission to make such orders as may be necessary to meet the ends of justice or to prevent abuses of the process of the Commission.

(2) Nothing in these Regulations shall bar the Commission from adopting in conformity with the provisions of the Electricity Act 2003 (36 of 2003) a procedure, which is at variance with any of the provisions of these Regulations, if the Commission, in view of the special circumstances of a matter or class of matters and for reasons to be recorded in writing, deems it necessary or expedient for dealing with such a matter or class of matters.

(3) Nothing in these Regulations shall, expressly or impliedly, bar the Commission dealing with any matter or exercising any power under the Electricity Act 2003 (36 of 2003) for which no Regulations have been framed, and the Commission may deal with such matters, powers and functions in a manner it thinks fit.

Smt. Sunita Yadav
Secretary